



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1948 (श10)

(सं0 पटना 962) पटना मंगलवार 11 अगस्त 2026

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अधिसूचना

6 अगस्त 2026

सं० अ०सं०क०-02-96/2026/473—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-7ए/70वीं सं० (मुख्य) प्र०प०-01-02/2025 (13) लो०से०आ०/गो०, दिनांक-20.07.2026 द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों को जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पर अधोलिखित शर्तों के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर-09 एवं समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है :-

क्र०	मेधा क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	रौल नं०	जन्म तिथि	पिता का नाम, पता एवं मो० नं०	Alloted Reservation Roster Vacancy	फोटो
1	2	3	4	5	6	7	
1.	334	सुश्री सुनीता कुमारी	354659	05.12.1996	पिता -स्वर्गीय रामाकांत पत्रलेख पता-ग्राम+पोस्ट+थाना-जरमुण्डी, जिला-दुमका, झारखंड, पिन कोड-814141 मो०-9113791591	01 (अनारक्षित)	
2.	363	श्रीमती अवन्तिका शुक्ला	498144	20.09.1996	पिता-श्री अजीत कुमार शुक्ला पता-ग्राम-जैनपुर, पोस्ट-लालगंज, अझारा, थाना-लालगंज, जिला-प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश मो०-6387564977	01 (अनारक्षित)	

क्र०	मेधा क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	रौल नं०	जन्म तिथि	पिता का नाम, पता एवं मो० नं०	Alloted Reservation Roster Vacancy	फोटो
1	2	3	4	5	6	7	
3.	509	श्री मोनू कुमार सिंह	570966	20.02.1998	पिता—श्री राज कुमार सिंह पता—ग्राम+पोस्ट— भटकेशरी, थाना—जलालपुर, जिला—सारण (बिहार) मो०—8789740559	05 (पिछड़ा वर्ग)	
4.	511	श्री अगम कृष्णा	549163	16.07.2002	पिता—श्री शिवेन्द्र कुमार, पता— अकबरबीघा, रामजनपुर, बरबीघा, जिला—शेखपुरा, बिहार, पिन कोड—811101 मो०—9508696053	05 (पिछड़ा वर्ग)	
5.	588	श्री प्रभात कुमार सिंह	490240	25.04.2000	पिता—श्री प्रेम शंकर सिंह पता—ग्राम—जखड़ा, वार्ड नं०—8, पंचायत—चकवा बदरवारी, पोस्ट—बसंतपुर, रमणी, दरभंगा, बिहार पिन कोड—847301 मो०—7250314015	07 (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	

2. सभी नवनियुक्त पदाधिकारी दिनांक—12.08.2026 को पूर्वाह्न 9:30 बजे बिपार्ड, पटना में रिपोर्ट करेंगे।

3. नवनियुक्त अभ्यर्थियों का परीक्ष्यमान की अवधि योगदान की तिथि से एक वर्ष की होगी।

4. अभ्यर्थियों को तत्काल औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ नियुक्ति की जाती है कि उनके संबंध में तथा उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/चरित्र प्रमाण पत्रों की सम्पुष्टि के क्रम में कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है अथवा कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्कालिक प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

5. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या—2160, दिनांक—05.02.2025 के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित एवं सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण आयोग की परीक्षा के प्राप्तांक, प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों में प्राप्तांक तथा केन्द्रीय परीक्षा समिति राजस्व पार्षद् द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

6. वैसे अभ्यर्थियों जिन्होंने जाँच के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित शैक्षणिक/जाति/चरित्र प्रमाण—पत्र इत्यादि समर्पित/प्रस्तुत नहीं किया है। योगदान के साथ उक्त वांछित प्रमाण—पत्र निश्चित रूप से समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

7. योगदान के समय दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा—पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

8. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

9. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं०—1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

10. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

11. वैसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा अनुमंडल दंडाधिकारी/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का शपथ-पत्र समर्पित नहीं किया गया है, का योगदान अनुमंडल दंडाधिकारी/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का शपथ-पत्र समर्पित करने उपरांत ही स्वीकृत किया जायेगा।

12. योगदान की तिथि से ही वेतन आदि का भुगतान पदस्थापित विभाग/कार्यालय द्वारा तीन माह तक औपबंधिक रूप से किया जायेगा।

13. संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा नवनियुक्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का 03 (माह) के लिये औपबंधिक रूप से योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा नियुक्त पत्र की सम्पुष्टि करा लेंगे। यदि 03 (तीन) माह के अन्दर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों के वेतनादि की निकासी तब तक नहीं की जायेगी जब तक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना से इनकी नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० अमीर आफाक अहमद फ़ैजी,
विशेष सचिव-सह-निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 962-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>